मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 31, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य ने गुना जिले की पुलिस द्वारा एक बालक के साथ अमानवीय मारपीट करने,
(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को वेतन न मिलने,
(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी के करेरा में पेयजल योजना राशि का दुरूपयोग होने,
(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने भोपाल जेल में करेंट से एक व्यक्ति की मौत होने,
(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने झाबुआ के उपयंत्री को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिये जाने तथा
(6) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य ने हटा क्षेत्र की हटा नगर एवं डिण्डोरिया नलजल योजनाएं अपूर्ण होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अनुपालन पुनर्विलोकन रिपोर्ट मई, 2009; तथा

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की चारों सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य ने उमरिया जिले की ग्राम पंचायत बांका में इंदिरा आवास योजना की राशि हितग्राहियों को न दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने वक्तव्य दिये।

(3) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य ने अशोक नगर जिले के सागर ग्राम निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी एवं श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में प्रमाणित बीज एवं रासायनिक खाद की कमी होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने दिनांक 21 जुलाई, 2009 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009	निर्धरित समय
1. (क्रमांक-2)	श्री रमेश प्रसाद खटीक	25 मिनट
2. (क्रमांक-34)	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	30 मिनट
3. (क्रमांक-35)	श्री यादवेन्द्र सिंह	25 मिनट
4. (क्रमांक-51)	श्री शरद जैन	30 मिनट
5. (क्रमांक-29)	श्री उमाशंकर गुप्ता	40 मिनट

श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रस्ताव किया कि "सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .....(क्रमशः)

(1) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन एवं खेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -37 पर्यटन के लिए अड़तीस करोड़, छियासी लाख, पन्द्रह हजार रूपये तथा

अनुदान संख्या -43 खेल और युवक कल्याण के लिए अट्ठाईस करोड़, इकहत्तर लाख, चौंसठ हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -37	2, 4, 5, 6
मांग संख्या -43	4, 5, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(1) श्री बालाराम बच्चन
(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री परसराम मुद्गल
(7) डॉ. निशिथ पटेल
(8) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(9) श्री श्रीकांत दुबे
(10) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(11) श्री पांचीलाल मेड़ा
(12) श्री बृजमोहन धूत
(13) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(14) श्री महेन्द्र हार्डिया
(15) श्री आरिफ अकील
(16) श्री राधेश्याम पाटीदार
(17) श्री अजय सिंह
(18) श्री रामलखन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन एवं खेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री, राजस्व ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए तीन सौ साठ करोड़, सोलह लाख, चौवन हजार रूपये;
अनुदान संख्या -9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए पच्चीस करोड़, उनचालीस लाख, छियासठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या -18	श्रम के लिए उनतालीस करोड़, साठ लाख, अठानवे हजार रूपये;
अनुदान संख्या -35	पुनर्वास के लिए छब्बीस लाख, उनचास हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए चार सौ करोड़, पांच लाख, आठ हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -8	3, 4, 5, 6, 7, 9
मांग संख्या -9	3, 5, 7, 8, 9, 10
मांग संख्या -18	3, 4, 5
मांग संख्या -35	1, 2, 3
मांग संख्या -58	3, 4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री के.पी. सिंह
(5) राव देशराज सिंह यादव

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(6) श्री सुखदेव पांसे
(7) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(8) श्री प्रताप ग्रेवाल
(9) पं. लक्ष्मण प्रसाद तिवारी
(10) श्री आत्माराम पटेल
(11) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(12) श्री ब्रजमोहन धूत
(13) श्री रामनिवास रावत
(14) श्री रामलल्लु वैश्य
(15) श्री नारायण सिंह पट्टा
(16) श्री राम चरित्र

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(17) श्री मूल सिंह (भाषण अपूर्ण)

6. अध्यक्षीय घोषणा

अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के बाद विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 153 (2) के अनुसार 4.00 बजे तक अनुदान की मांगों को समाप्त करके विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों के अनुरोध पर समस्त विभागों की अनुदान की मांगों पर सम्पूर्ण चर्चा कराई जाना है। अत : आज समस्त विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा कराकर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।"

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार, कौल एवं शकधर में वित्तीय विषयों के संबंध में पृष्ठ-729 में उल्लेख है कि "विनियोग विधेयक पुरःस्थापित की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विधेयक सदन द्वारा संगत मांगों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।" अर्थात मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के बाद ही विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि जो आप कह रहे हैं, उसी आशा की घोषणा की गई है।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की नियमावली का उद्धरण प्रस्तुत किया गया कि "नियत दिनों के अंतिम दिन 5 बजे उस प्रकम या प्रक्रम के संबंध में जिसके लिए नियत किये गये हो, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखेगा।" उन्होंने मत व्यक्त किया कि कोल एवं शकधर में इसके लिए रेमेडी दी है। अतः आपकी अनुमति से, सदन द्वारा मांगों पर चर्चा कर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त, विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु समय परिवर्तित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

7. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .....(क्रमशः)

श्री मूल सिंह, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(18) श्री बाबूलाल वर्मा

(19) श्री विश्वामित्र पाठक

(20) श्री रामलखन सिंह

(21) श्री पांचीलाल मेड़ा

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री राजस्व ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए तीन सौ बयालीस करोड़, बासठ लाख, सत्रह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -39	2, 5, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्री ब्रजराज सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री मनोहर ऊंटवाल
(6) श्री बालाराम बच्चन
(7) श्री राधेश्याम पाटीदार

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(8) डॉ. गोविन्द सिंह
(9) श्री आरिफ अकील

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -34	समाज कल्याण के लिए छियालीस करोड़, बानवे लाख, अट्ठावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -55	महिला एवं बाल विकास के लिए आठ सौ सत्रह करोड़, छियत्तर लाख, छियत्तर हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -34	1, 2, 3, 4, 5
मांग संख्या -55	2, 4, 5, 7, 8

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(2) श्रीमती नीता पटैरिया
(3) डॉ. कल्पना परुलेकर

(सदन की सहमति से आज की कार्यसूची उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की गई।)

(4) श्रीमती मालिनी गौड़

(5) श्री पांचीलाल मेड़ा
(6) श्रीमती नीना वर्मा
(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(8) श्री राजकुमार उरमलिया
(9) श्रीमती ललिता यादव
(10) श्री आरिफ अकील
(11) श्री पारस सकलेचा
(12) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(13) श्रीमती सुलोचना रावत

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, वन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -10	वन के लिए छह सौ चौतीस करोड़, इक्कीस लाख, आठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या -25	खनिज साधन के लिए आठ करोड़, अट्ठासी लाख, सैंतालीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या -29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक सौ छियत्तर करोड़, निन्यानवे लाख, निन्यानवे हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -71	जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नालॉजी) के लिए दो करोड़, बत्तीस लाख रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -10	4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17
मांग संख्या -25	2, 4, 5
मांग संख्या -29	2, 3, 4
मांग संख्या -71	2, 3

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रत्नेश सॉलोमन
(2) कुंवर विजय शाह
(3) डॉ. निशिथ पटेल
(4) श्री ज्ञान सिंह

(5) श्री श्रीकांत दुबे
(6) श्रीमती मालिनी गौड़
(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्री लक्ष्मण तिवारी
(9) श्री रामलखन सिंह
(10) श्री रामनिवास रावत
(11) श्री माखनलाल राठौर
(12) श्री बालाराम बच्चन
(13) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(14) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(15) श्री अन्तर सिंह आर्य
(16) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(17) श्री शैलेन्द्र जैन
(18) श्री बृजमोहन धूत
(19) श्री रमेस प्रसाद खटीक
(20) श्री पांचीलाल मेड़ा

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, वन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) को पुरःस्थापित किया।

अपराह्न 11.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.